

—कार्यालय आदेश:—

आप अवगत हैं कि निकट भविष्य में सम्पूर्ण भारत वर्ष में नवीन कर प्रणाली जी०एस०टी० लागू किया जाना प्रस्तावित है। वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में जी०एस०टी० लगायें जाने हेतु कार्यों को क्रियान्वयन किया जा रहा है। केन्द्र स्तर पर प्रस्तावित जी०एस०टी० मॉडल एक्ट जारी किया जा चुका है, जिसमें विभिन्न स्टेक हॉल्डर संगठनों से जी०एस०टी० के सफल क्रियान्वयन एवं जी०एस०टी० मॉडल एक्ट के विषय में समय-समय पर सुझाव प्राप्त किए जा रहे हैं। उत्तराखण्ड राज्य में जी०एस०टी० लगाये जाने के सम्बंध में वाणिज्य कर, मुख्यालय स्तर पर स्टेक हॉल्डर के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु विभिन्न टैक्स बार ऐसोसियेशन की एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति द्वारा जी०एस०टी० के सम्बंध में समय-समय पर विचार विमर्श किया जाएगा।

इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

1. अध्यक्ष आयुक्त कर।
2. संयोजक सदस्य एडिशनल कमिश्नर (विवेतनमान) वा० कर, मुख्यालय।
3. विभागीय सदस्य समस्त एडिशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड एवं समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर(कार्यो/प्र०) वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड।
4. विशेष आमन्त्रित सदस्य निदेशक, एन०आई०सी एवं अध्यक्ष द्वारा आमन्त्रित प्रतिभागी।
5. सम्मुख लिखित एडवोकेट संघों
के अध्यक्ष।
 - देवभूमि टैक्स बार ऐसोसियेशन, देहरादून।
 - दून कॉर्मर्शियल टैक्स बार ऐसोसियेशन, देहरादून।
 - हरिद्वार टैक्स बार ऐसोसियेशन, हरिद्वार।
 - टैक्स बार ऐसोसियेशन, रुड़की।
 - टैक्स बार ऐसोसियेशन, ऋषिकेश।
 - टैक्सेशन बार ऐसोसियेशन, कोटद्वार।
 - टैक्स बार ऐसोसियेशन, काशीपुर।
 - दि. टैक्स बार ऐसोसियेशन, काशीपुर।
 - टैक्स बार ऐसोसियेशन, रामनगर।
 - जिला टैक्स बार ऐसोसियेशन, रुद्रपुर।
 - हल्द्वानी टैक्स बार ऐसोसियेशन, हल्द्वानी।
 - टैक्स बार ऐसोसियेशन, पिथौरागढ़।
 - टैक्स बार ऐसोसियेशन, अल्मोड़ा।

उक्त समिति जी०एस०टी० लागू होने की तिथि अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पूर्ववर्ती हो प्रभावी रहेंगी।

(रणवीर सिंह चौहान)


आयुक्त कर,

उत्तराखण्ड।

पृ०प०सं० ३१८ / दिनांक :: उक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
2. उक्त समिति के समस्त सदस्य।
3. समस्त एडिशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड।
4. समस्त ज्वाईंट कमिश्नर (कार्य०/प्र०) वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड।
5. ✓ श्री अनुराग मिश्रा, डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर हरिद्वार एवं web Information Officer को विभागीय वेब-साईट पर अपडेट करने हेतु।
6. समस्त अनुभाग अधिकारी वाणिज्य कर मुख्यालय, देहरादून।



आयुक्त कर,

उत्तराखण्ड।